

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1590/VII-1/90-ख/2016
देहरादून : दिनांक: 30 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं हैं तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में आर०बी०एम० जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान-माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से आर०बी०एम० को हटाये/निस्तारित किये जाने राज्यपाल निम्नवत् उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 है।
- परिभाषाएं 2. (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो-
- (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ग) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "निदेशक" से अभिप्रेत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से है;
- (च) "निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से है;
- (छ) "स्थानीय अधिकारी" से अभिप्रेत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त है;
- (ज) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;
- (झ) "रिवर ट्रेनिंग" का तात्पर्य नदी के जलप्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;
- (ट) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रीत करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू बजरी बोल्टडर, का मानव शक्ति से निकासी अभिप्रेत है;
- (ठ) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं हैं परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं;

- रिवर ट्रेनिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण 3 ऐसे क्षेत्र जहां नदी के द्वारा उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं या सरकारी विभाग के द्वारा किया जायेगा।
- स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा चिन्हीत स्थलों में जमा आर०बी०एम० के हटाये जाने हेतु आवेदन 4 स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा जमा आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को निम्न संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जायेगा:-
(क) प्रस्तावित रिवर ट्रेनिंग स्थल का सेटेलाइट फोटोग्राफ (Satellite photograph)।
(ख) जी०पी०एस० लोकेशन कोर्डिनेट्स।
(ग) जमा आर०बी०एम० का ड्रोन द्वारा लिया गया फोटोग्राफ।
(घ) आर०बी०एम० की सम्भावित मात्रा, जिसकी निकासी River Training हेतु आवश्यक है।
- सरकारी विभाग के द्वारा चिन्हीत स्थलों में जमा आर०बी०एम० के हटाये जाने हेतु प्रक्रिया 5 सरकारी विभाग के द्वारा चिन्हीत स्थलों में जमा आर०बी०एम० के हटाये जाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण को सूचित करते हुये अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जायेगी।
- रिवर ट्रेनिंग हेतु चिन्हीत क्षेत्रों का विभागीय सत्यापन व मूल्यांकन 6 ऐसे क्षेत्र जहां नदी द्वारा उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, के निकासी हेतु राज्य के निजी व्यक्तियों/संस्था से प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा आवेदित स्थल का सत्यापन व जमा आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन जनपद स्तर पर गठित निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा :-
(1) उपजिलाधिकारी- अध्यक्ष।
(2) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि-सदस्य।
(3) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता-सदस्य।
(4) भू-वैज्ञानिक-सदस्य।
- आर०बी०एम० के हटाये जाने हेतु अनुमत गहराई 7 नदी के जल स्तर से 01 मी० की गहराई तक चुगान की अनुमति दी जायेगी तथा विशेष परिस्थिति में अनुमत गहराई से अधिक हेतु शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- रिवर ट्रेनिंग हेतु अनुज्ञा की स्वीकृति एवं आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु अनुज्ञा अवधि 8 ऐसे क्षेत्र जहां नदी के द्वारा आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आर०बी०एम० हटाये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा स्वीकृत किया जायेगा। आर०बी०एम० हटाये जाने की अधिकतम अनुज्ञा अवधि 06 माह की होगी। राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को डैम क्षेत्रों में जमा उपखनिजों की सशुल्क निकासी की अनुमति यथाप्रक्रिया संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

आर०बी०एम०
हटाये जाने की
विधि एवं पद्धति

- 9 आर०बी०एम० का चुगान यथा सम्भव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनों किनारे से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए किया जायेगा तथा विशेष परिस्थितियों में गठित समिति की संस्तुति पर मशीनों का उपयोग अनुमत्य होगा। इसके अतिरिक्त पुल, शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से अपस्ट्रीम में 100 मी० तथा डाउनस्ट्रीम में भी 100 मी० की क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

आर०बी०एम० का
निस्तारण

- 10 (1) उक्तानुसार हटाये गये आर०बी०एम० का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
(2) हटाये गये आर०बी०एम० की देय रायल्टी का 10 प्रतिशत धनराशि रिवर ट्रेनिंग व वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
(3) हटाये गये आर०बी०एम० की देय रायल्टी का 10 प्रतिशत धनराशि स्थानीय प्रभावित मार्गों के पुर्ननिर्माण हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव